

अध्याय-॥
राज्य के वित्त

अध्याय-II

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का वृहद परिदृश्य तथा विगत वर्ष से सम्बंधित प्रमुख राजकोषीय योगों महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के वित्त लेखाओं पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण-धारणीयता तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों पर चर्चा की गई है तथा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई है।

2.1 प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह प्रभाग विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक सूचकांक का अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख राजकोषीय योगों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none">✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 8.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की अपनी कर प्राप्तियों में 6.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ राज्य की स्वयं की कर-भिन्न प्राप्तियां 12.53 प्रतिशत घट गई✓ संघीय करों व शुल्कों के राज्यांश में 1.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ भारत सरकार के सहायता-अनुदान में 15.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ राजस्व व्यय में 9.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 9.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 6.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 14.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none">✓ पूँजीगत व्यय 2.62 प्रतिशत घट गया✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 16.79 प्रतिशत घट गया✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 37.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 8.31 प्रतिशत घट गया
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none">✓ ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण 30.14 प्रतिशत घट गया✓ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली में 9.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 38.58* प्रतिशत की वृद्धि हुई✓ लोक ऋण चुकौती में 66.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none">✓ लोक लेखा प्राप्तियां 31.57 प्रतिशत घट गई✓ लोक लेखा संवितरण 27.12 प्रतिशत घट गया
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none">✓ नकद शेष में ₹ 696.06 करोड़ (65.65 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसे राज्य को उसके स्रोतों से चुकाना नहीं है।

2.2 निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग

यह प्रभाग विगत वर्ष (2019-20) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उसके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना प्रस्तुत करता है।


तालिका-2.1: 2019-20 व 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोतों एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि/ गिरावट
निधियों के स्रोत	अथ नकद शेष	52.70	1,060.18	1,007.48
	राजस्व प्राप्तियां	30,742.41	33,438.27	2,695.86
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	2.04	2.88	0.84
	ऋण व अग्रिम की वसूलियां	21.04	23.02	1.98
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	4,146.64	5,608.17*	1,461.53
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,457.90	787.97	-1,669.93
	योग	37,422.73	40,920.49*	3,497.76
निधियों का अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	30,730.43	33,534.93	2,804.50
	पूंजीगत व्यय	5,173.91	5,309.21	135.30
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	458.21	320.12	-138.09
	अंत नकद शेष	1,060.18	1,756.24	696.06
	योग	37,422.73	40,920.50	3,497.77

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।

2020-21 के दौरान राज्य की समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का प्रतिशत संघटन चार्ट-2.1 व 2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे।

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्त्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का भाग होती हैं।


3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत प्रक्षेपों इत्यादि से सम्बंधित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होते।

इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियां जो समेकित निधि का भाग बनती हैं, के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किये गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।


2016-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां चार्ट-2.3 में दी गई हैं जबकि 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन चार्ट-2.4 में दिया गया है।



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: पूंजीगत प्राप्तियों में लोक ऋण, विविध पूंजीगत प्राप्तियां एवं ऋणों व अग्रिमों की वसूली शामिल है। 2020-21 के दौरान भारत सरकार से वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।

चाट-2.4: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन



स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल हैं ।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह परिच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों एवं इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तत्पश्चात् यह राज्य की स्वयं की प्राप्तियों एवं केंद्र सरकार की प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास

तालिका-2.2, 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों, साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्तियां दर्शाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां एवं राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट-2.5 व चार्ट-2.5 (क) में दिया गया है। विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के संघटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	26,264	27,367	30,950	30,742	33,438
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.05	4.20	13.09	-0.67	8.77
कर राजस्व (₹ करोड़ में)	7,039	7,108	7,573	7,624	8,083
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.13	0.97	6.54	0.66	6.02
कर-भिन्न राजस्व (₹ करोड़ में)	1,717	2,364	2,830	2,502	2,188
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	-6.53	37.65	19.72	-11.61	-12.53
राज्य का स्व-राजस्व (कर + कर-भिन्न राजस्व)	8,756	9,472	10,403	10,126	10,271
राज्य के स्व-राजस्व की वृद्धि दर (कर + कर भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	2.62	8.17	9.82	-2.67	1.44
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	1,25,634	1,38,551	1,49,442 ^अ	1,62,816 ^ब	1,56,522 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.91	19.75	20.71	18.88	21.36

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्प्लावकता अनुपात¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का स्वयं का कर राजस्व	1.21	0.41	1.67	-0.08	-2.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर उत्प्लावकता	0.26	0.79	1.25	-0.30	-0.37

स्रोत: वित्त लेखे एवं आर्थिक व सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब - प्रथम संशोधित अनुमान, स - अग्रिम अनुमान

चार्ट-2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



¹ उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया के लचीलेपन अथवा डिग्री को दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में 1.85 राजस्व उत्प्लावकता का तात्पर्य है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

- राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में भारी अस्थिरता देखी गई क्योंकि वित्तायोग अनुदान (2016-17 में 14वां वित्तायोग प्रभाव) तथा वस्तु व सेवा कर (2017-18) लागू होने जैसे बाह्य कारकों ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया। 2019-20 व 2020-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में राजस्व उत्प्लावकता काफी हद तक ऋणात्मक रही। 2020-21 के दौरान ऐसा मुख्य रूप से कर-भिन्न राजस्व में गिरावट (₹ 313 करोड़) एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋणात्मक वृद्धि दर के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान में उल्लेखनीय वृद्धि (₹ 2,473 करोड़) हुई थी।

2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्यांश, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार के सहायता-अनुदान, केन्द्रीय कर प्राप्तियों की संग्रहण की प्रमात्रा तथा योजनाओं हेतु प्रत्याशित केन्द्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्वयं के संसाधनों, कर एवं कर-भिन्न राजस्वों, के आधार पर किया जाना चाहिए।

(i) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में राज्य वस्तु व सेवाकर, राज्य आबकारी, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, वाहन, माल एवं यात्री कर इत्यादि समाविष्ट हैं। 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व का विवरण नीचे चार्ट-2.6 में दिया गया है:

चार्ट-2.6: 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि



2016-17 से 2020-21 के दौरान संग्रहित स्वयं के कर राजस्व के घटक-वार विवरण को नीचे तालिका-2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.3: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य वस्तु व सेवा कर	-	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,381.91	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11
राज्य आबकारी	1,307.87	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74
वाहन कर	279.58	367.16	408.01	465.52	380.20
स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क	209.16	229.18	250.55	259.58	253.36
विद्युत पर कर व शुल्क	371.67	360.79	487.08	100.86	401.76
भू-राजस्व	7.64	16.96	8.39	4.79	6.95
माल व यात्री कर	121.37	111.69	104.38	104.03	83.55
अन्य कर	359.85	351.61	304.66	309.15	261.07
कुल कर राजस्व	7,039.05	7,107.67	7,572.81	7,623.82	8,083.32

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखों।

वर्ष 2016-21 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 1,044.27 करोड़ (14.84 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान कर राजस्व में वस्तु व सेवा कर (42.89 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (20.17 प्रतिशत), राज्य आबकारी (19.79 प्रतिशत) एवं विद्युत पर कर व शुल्क (4.97 प्रतिशत) की प्रमुख भागीदारी रही। विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान कर राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (₹ 460.58 करोड़), विद्युत पर कर व शुल्क (₹ 300.90 करोड़) के अंतर्गत थी, जो वाहन कर (₹ 85.32 करोड़), राज्य वस्तु व सेवा कर (₹ 83.76 करोड़) तथा राज्य आबकारी (₹ 60.28 करोड़) के अंतर्गत हुई गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई। बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (मूल्य वर्धित कर) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि का कारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निपटान योजना के अंतर्गत बकाया एवं लंबित निर्धारण मामलों के समाधान तथा पेट्रोल व डीज़ल पर मूल्य वर्धित कर की दर में वृद्धि थी।

(i) राज्य वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार वस्तु एवं सेवाकर लागू होने से उत्पन्न राजस्व की गिरावट हेतु आधार वर्ष से पांच वर्ष की अवधि तक 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। केंद्र वस्तु एवं सेवाओं की

अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर लगाता है तथा वस्तु अथवा सेवाओं की खपत पर राज्य को कर का राज्यांश आवंटित करता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में आधार वर्ष (2015-16) के दौरान अंतिमीकृत राजस्व आंकड़ा ₹ 3,678 करोड़ था। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार संरक्षित राजस्व, संग्रहित वास्तविक राजस्व एवं बकाया व प्राप्त हुई भारत सरकार की क्षतिपूर्ति तालिका- 2.3 (क) में दी गई है।

तालिका-2.3 (क): वस्तु व सेवा कर के संग्रहण तथा भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संरक्षित राजस्व राशि*	संग्रहित राजस्व राशि**	बकाया क्षतिपूर्ति राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि	गिरावट
	1	2	3 = 1-2	4	5 =3-4
2017-18	3,585	2,497	1,088	539	549
2018-19	5,450	3,367	2,083	2,037	46
2019-20	6,213	3,594	2,619	1,877	742
2020-21	7,083	3,575	3,508	1,764	1,744
योग	22,331	13,033	9,298	6,217	3,081

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से तथा हिमाचल प्रदेश राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग से प्राप्त जानकारी।

* संरक्षित राजस्व की गणना 2015-16 के राजस्व आंकड़ों को आधार मानकर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष जोड़कर की जाती है।

** पेट्रोलियम उत्पादों एवं मानव उपभोग के लिए शराब पर मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़ते हुए मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर (निवल प्रतिदाय) तथा वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित सभी कर शामिल हैं।

2020-21 के दौरान राज्य को वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व क्षति के कारण ₹ 1,763.53 करोड़ की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त कुल क्षतिपूर्ति में से ₹ 1,017.67 करोड़ वर्ष 2019-20 से संबंधित है।

राज्य में वस्तु व सेवा कर के संग्रहण में वृद्धि अनुमानित वृद्धि से कम थी तथा 2017-21 की अवधि के दौरान ₹ 22,331 करोड़ की प्राक्कलित वस्तु व सेवा कर प्राप्ति के प्रति कुल ₹ 9,298 करोड़ की गिरावट पाई गई। राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करनी थी। यद्यपि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, भारत सरकार ने मार्च 2021 तक केवल ₹ 6,217 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,081 करोड़ का संचित घाटा हुआ। साथ ही, वर्ष 2019-21 के दौरान राज्य को एकीकृत वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत हुई शुद्ध आय का उसका अंश प्राप्त नहीं हुआ।

यद्यपि 2020-21 के दौरान 41वीं वस्तु व सेवा कर परिषद के निर्णयानुसार वस्तु व सेवा कर लागू होने से उत्पन्न गिरावट को वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष खिड़की (विंडो) के तहत जारी ऋण के माध्यम से राज्यों को उधार देकर पूरा किया जाएगा। ऐसे ऋण वित्तायोग द्वारा निर्धारित/नियत किए गए किसी भी नियम हेतु राज्य के ऋण के रूप में नहीं माने जाएंगे। इस निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को भारत सरकार से ₹ 1,717 करोड़ के एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) प्राप्त हुए ।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

20 जून 2020 को अखिल राज्य के बैंक-एंड डेटा एवं सिस्टम का एक्सेस प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई। इस हेतु जनवरी 2022 को राज्य सरकार द्वारा वीपीएन कनेक्शन के माध्यम से वस्तु व सेवा कर के बैंक-एंड डेटा हेतु आवश्यक डोमेन एक्सेस प्रदान किया गया। इसके परिणामस्वरूप सभी वस्तु व सेवा कर प्राप्तियों/लेनदेनों की लेखापरीक्षा आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) वातावरण में की गई।

(iii) राजस्व बकाया एवं निर्धारण बकाया का विश्लेषण

राजस्व बकाया सरकार द्वारा राजस्व की विलंबित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति, निर्धारण बकाया विलंबित निर्धारण के कारण अवरुद्ध संभावित राजस्व को दर्शाता है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं जो अंततः राजस्व घाटे पर प्रभाव डालते हैं।

(क) राजस्व बकाया

01 अप्रैल 2021 तक राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों में ₹ 4,412.33 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 2,549.22 करोड़ (57.77 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि तालिका-2.4 में नीचे विवर्णित है:

तालिका-2.4: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2021 तक बकाया	31 मार्च 2021 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि
0039-राज्य आबकारी	272.34	52.22
0040-मूल्य वर्धित कर	3,971.54	2,445.38
0042-यात्री व माल कर	7.49	6.62
0045-अन्य कर एवं शुल्क	82.13	45.01
वस्तु व सेवा कर	78.83	0.00
योग	4,412.33	2,549.22

स्रोत: राज्य के विभाग

(ख) निर्धारण बकाया

राज्य सरकार द्वारा बिक्री/मूल्य वर्धित कर/वस्तु व सेवा कर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, निर्धारण हेतु बकाया मामले, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामले तथा वर्ष की समाप्ति में अंतिम रूप दिए जाने हेतु लंबित मामलों की संख्या के विवरण तालिका-2.5 में नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.5: निर्धारण बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		अथ शेष	2020-21 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया	बकाया कुल निर्धारण	2020-21 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	केन्द्रीय बिक्री कर	1,21,415	3,910	1,25,325	36,346	88,979	29
	मूल्य वर्धित कर	1,48,462	4,416	1,52,878	44,438	1,08,440	29
वस्तु व सेवा कर	वस्तु व सेवा कर	17,797	2,378	21,053	1,740	19,313	0
कार्य अनुबंधों पर कर		972	819	1,791	164	1,627	9
मोटर स्पिरिट कर		67	60	127	82	45	65
वाहन कर		7,431	1,392	8,823	1,464	7,359	17
विलासिता कर		2,946	24	2,970	459	2,511	15
योग		2,99,090	12,180	3,12,967	84,693	2,28,274	27

स्रोत: राज्य विभाग

(iv) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामलों इत्यादि का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिमीकृत मामले तथा उत्पन्न अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। प्रतिदाय मामलों का त्वरित निपटान विभाग के प्रदर्शन का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। प्रतिदाय के अत्यधिक विलंबित मामले लाल-फीताशाही, निजी स्वार्थ, रिश्वत के प्रसार इत्यादि को इंगित कर सकते हैं। राज्य कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के विवरण तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण तालिका-2.6 (क) व 2.6 (ख) में नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.6 (क): पता लगाए गए कर अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक लंबित मामले	2020-21 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें आंकलन/जांच पूरी हुई एवं शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	राज्य आबकारी	62	446	508	447	4.18	61
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	289	3,089	3,378	2,967	136.67	411
3.	यात्री व माल कर	21	9,911	9,932	9,917	5.85	15
4.	माल व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	36	1,207	1,243	1,204	1.21	39
योग:		408	14,653	15,061	14,535	147.91	526

स्रोत: राज्य के विभाग।

तालिका-2.6 (ख): प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	56	23.00	6	0.20
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावे	270	25.70	32	8.75
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	215	24.26	33	8.85
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	108	24.41	5	0.09

स्रोत: राज्य के विभाग।

(v) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि सम्मिलित होती हैं।

तालिका-2.7: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज प्राप्तियां	145.56	340.54	385.88	245.36	306.43
लाभांश एवं लाभ	289.63	255.58	181.92	248.44	245.43
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1,282.04	1,767.00	2,262.27	2,007.72	1,636.60
विविध सामान्य सेवाएं	2.35	5.46	20.76	5.17	11.41
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	112.22	180.76	214.59	238.59	196.08
वानिकी एवं वन्य जीव	18.5	46.87	76.32	83.61	49.56
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.63	40.45	51.34	49.65	37.05
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	176.22	441.46	221.05	246.30	252.16
विद्युत्	650.93	687.61	1,134.34	1,021.68	749.12
अन्य	279.19	364.39	543.87	362.72	341.22
कुल कर-भिन्न राजस्व	1,717.24	2,363.85	2,830.07	2,501.51	2,188.46
राजस्व प्राप्तियों से कर-भिन्न राजस्व का प्रतिशत	6.54	8.64	9.14	8.14	6.54

स्रोत: वित्त लेखे।


2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य के कुल राजस्व का 6.54 से 9.14 प्रतिशत था। 2016-19 की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व ₹ 1,717.24 करोड़ से ₹ 2,830.27 करोड़ तक बढ़ गया तथा उसके बाद से 2020-21 में यह घटकर ₹ 2,188.46 करोड़ रह गया। विगत पांच वर्षों में कर-भिन्न राजस्व में मुख्य भागीदारी विद्युत् क्षेत्र की रही जिसने 29 से 40 प्रतिशत की भागीदारी की। 2020-21 के दौरान कर-भिन्न राजस्व ₹ 1717.24 करोड़ (2016-17) से ₹ 471.22 करोड़ (27.44 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 2,188.46 करोड़ हो गया। तथापि विगत वर्ष की अपेक्षा 2020-21 के दौरान कर-भिन्न राजस्व में ₹ 313.05 करोड़ (12.51 प्रतिशत) की गिरावट हुई। यह गिरावट मुख्यतः विद्युत् क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तियों में गिरावट (₹ 272.56 करोड़), विभाग द्वारा सम्पूर्ण भारत में तालाबंदी (लॉकडाउन) करने (कोविड-19) एवं बड़ी मात्रा में औद्योगिक, व्यवसायिक व ट्रेक्शन लोड बंद करने के कारण 25-30 प्रतिशत विद्युत् की मांग के घटने व विद्युत् के कम उत्पादन के कारण हुई।

2.3.2.3 केन्द्रीय अंतरण

केन्द्रीय अंतरण वित्तायोग की अनुशंसा पर बहुत अधिक रूप से निर्भर होते हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अंतरण की प्रवृत्ति चार्ट-2.7 में दर्शाई गई है।

चार्ट-2.7: केन्द्रीय अंतरणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



(i) केन्द्रीय कर अंतरण

14वें वित्तायोग ने 2015-16 के बाद से केन्द्रीय करों के राज्यांश को 42 प्रतिशत बढ़ाने की अनुशंसा की। परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों की शुद्ध आय (सेवा कर को छोड़कर) में राज्यांश 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु 0.713 प्रतिशत पर तथा 2020-21 हेतु 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार) पर निर्धारित किया गया। 2011-12 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण तालिका-2.8 में नीचे दिया गया है:

तालिका-2.8: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्तायोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1	2	3	4	5 (4-3)
2011-12	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.781 प्रतिशत	2,060.67	1,998.37	(-) 62.30
2012-13	एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय का 0.793 प्रतिशत (13वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	2,362.61	2,282.02	(-) 80.59
2013-14		2,716.72	2,491.53	(-) 225.19
2014-15		2,993.17	2,644.17	(-) 349.00
2015-16		3,743.71	3,611.17	(-) 132.54

वर्ष	वित्तायोग के प्राक्कलन	वित्तायोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अंतर
1	2	3	4	5 (4-3)
2016-17	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत	4,074.67	4,343.70	269.03
2017-18	एवं बांटने योग्य सेवाकर की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19	सेवाकर को छोड़कर बांटने योग्य सभी करों की शुद्ध आय का 0.799 प्रतिशत (15वें वित्तायोग की अनुशंसानुसार)	5,619.31	5,429.77	(-)189.54
2019-20		5,769.12	4,677.56	(-)1,091.56
2020-21		6,265.60	4,753.92	(-) 1,511.68

स्रोत: 13वें वित्तायोग, 14वें वित्तायोग व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण।

2016-21 के दौरान राज्य को प्राप्त केन्द्रीय कर अंतरणों के विवरण तालिका-2.9 में दिए गए हैं:

तालिका-2.9: केन्द्रीय कर अंतरणों का संघटन

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अंतरण के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	विगत वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	--	68.36	1,340.15	1,327.34	1,419.55	92.21
एकीकृत वस्तु व सेवा कर	--	484.84	107.00	--	--	--
निगम कर	1,393.48	1,470.67	1,888.31	1,594.86	1,429.44	-165.42
निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय कर	968.47	1,241.88	1,390.66	1,249.68	1,464.84	215.16
सीमा शुल्क	599.42	484.70	384.89	296.49	257.07	-39.42
संघ आबकारी	684.49	506.50	255.78	206.16	160.44	-45.72
सेवा कर	694.64	544.40	49.66	--	19.39	19.39
अन्य कर ²	3.20	(-) 0.04	13.32	3.03	3.19	0.16
केन्द्रीय कर अंतरण	4,343.70	4,801.31	5,429.77	4,677.56	4,753.92	76.36
गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि (+)/ गिरावट (-) का प्रतिशत	20.29	10.54	13.09	(-) 13.85	1.63	
राजस्व प्राप्तियों से कर अंतरण का प्रतिशत	16.54	17.54	17.54	15.22	14.22	

स्रोत: वित्त लेखे

² सम्पत्ति कर, आय व व्यय पर अन्य कर, वस्तु व सेवा कर पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित हैं।

2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में केन्द्रीय कर अंतरण में 9.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विगत वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष (2020-21) के दौरान इसमें ₹ 76.36 करोड़ (1.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय कर अंतरण राजस्व प्राप्तियों का 14.22 प्रतिशत रहा जो विगत वर्ष (2019-20) के दौरान 15.22 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त तालिका-2.8 में तालिकाबद्ध किया गया है कि 2011-12 से 2020-21 (2016-17 को छोड़कर) की अवधि के दौरान राज्य ने वित्तायोग (13वां वित्तायोग, 14वां वित्तायोग एवं 15वां वित्तायोग) की अनुशंसाओं के अनुसार संघीय करों व शुल्कों का उसका अंश प्राप्त नहीं किया। चालू वर्ष के दौरान यह अंश ₹ 1,511.68 करोड़ कम रहा।

(ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर वर्गीकरण बंद कर राज्यों को सहायता-अनुदान उपलब्ध करवाने हेतु मुख्य शीर्ष-1601-सहायता-अनुदान के अंतर्गत नए उप-मुख्य शीर्ष का प्रचालन आरम्भ किया। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान की प्रास्थिति तालिका-2.10 में दी गई है।

तालिका-2.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आयोजनेत्तर अनुदान #	8,877.19	--	--	--	-
राज्य आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान#	1,187.49	--	--	--	-
केन्द्रीय आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान #	44.45	--	--	--	-
केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान#	3,055.23	--	--	--	-
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	--	3,590.26	4,010.49	4,915.06	4,221.29
वित्तायोग अनुदान	--	8,889.00	8,831.25	8,617.82	12,424.10*
अन्य अंतरण/राज्य को अनुदान/विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान	--	615.39	2,275.93	2,406.64	1,767.19@
योग	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52	18,412.58
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि	16.54	(-) 0.53	15.45	5.44	15.52
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	50.12	47.85	48.84	51.85	55.06

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वित्तायोग अनुदानों में हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹ 11,430.85 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹ 584.25 करोड़) एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (₹ 409 करोड़) शामिल हैं, जो पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेत्तर अनुदानों के रूप में दर्शाई जाती थी।

@ इसमें वस्तु व सेवा कर लागू होने से हुई राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति के ₹ 1763.53 करोड़ शामिल हैं।

2017-18 से आयोजना एवं आयोजनेत्तर अनुदानों का नामकरण बदल दिए जाने तथा विशेष श्रेणी राज्य हेतु अनुदान, वित्तायोग अनुदान एवं राज्यों को अन्य अनुदानों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2020-21 में विगत वर्ष की अपेक्षा भारत सरकार के सहायता-अनुदानों में ₹ 2,473.06 करोड़ की वृद्धि हुई। सहायता-अनुदान का 62 प्रतिशत, हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के रूप में था। 2016-21 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता-अनुदान का अंश 48 से 55 प्रतिशत के मध्य रहा।

(iii) वित्तायोग के अनुदान

राज्यों को स्थानीय निकायों एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु 14वें एवं 15वें वित्तायोग के तहत अनुदान उपलब्ध किए गए। वर्ष 2015-16 से 2020-21 के दौरान राज्य को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान तालिका-2.11 में दिए गए हैं।

तालिका-2.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी एवं अंतरित सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अंतरण	14वें व 15वें वित्तायोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तव में जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
	2015-16 से 2019-20	2020-21	कुल (2015-21)	2015-16 से 2019-20	2020-21	कुल (2015-21)	2015-16 से 2019-20	2020-21	कुल (2015-21)
1. स्थानीय निकाय (i+ii)	2,011.57	636.00	2,647.57	1,814.76	584.25	2,399.01	1,814.76	608.82	2,423.58
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,809.80	429.00	2,238.80	1,664.31	429.00	2,093.31	1,664.31	429.00	2,093.31
(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	1,628.82	429.00	2,057.82	1,628.82	429.00	2,057.82	1,628.82	429.00	2,057.82
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	180.98	0	180.98	35.49	0	35.49	35.49	0	35.49
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	201.77	207.00	408.77	150.45	155.25	305.70	150.45	179.82	330.27
(अ) सामान्य बुनियादी अनुदान	161.42	103.50	264.92	142.54	103.50	246.04	142.54	127.98	270.52
(ब) सामान्य निष्पादन अनुदान	40.35	103.50	143.85	7.91	51.75	59.66	7.91	51.84	59.75
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि*	1,304.00	454.00	1,349.00	1,112.85	409.00	1,157.85	1,053.68	454.00	1,098.68
सकल योग (1+2)	3,315.57	1,090.00	3,996.57	2,927.61	993.25	3,556.86	2,868.44	1,062.82	3,522.26

स्रोत: 14वें व 15वें वित्तायोग की रिपोर्ट एवं राज्य विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी

* केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश सहित

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण व अग्रिम की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाज़ार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार)

तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं। विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति तालिका-2.12 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-2.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि एवं संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूंजीगत प्राप्तियां	4,689.97	2,174.87	1,784.70	4,169.72	3,917.07*
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	निरंक	34.82	8.82	2.04	2.88
ऋण व अग्रिम की वसूली	29.50	39.61	21.83	21.04	23.02
निवल लोक ऋण प्राप्तियां	4,660.47	2,100.44	1,754.05	4,146.64	3891.17*
आंतरिक ऋण	4,633.10	2,097.45	1,771.71	4,164.59	3,390.44
आंतरिक ऋण की वृद्धि दर	110.28	-54.73	-15.53	135.06	-18.59
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	27.37	2.99	-17.66	-17.95	500.73*
भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम की वृद्धि दर	225.44	-89.08	-690.64	-1.64	2889.56
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	113.64	-54.93	-16.49	136.40	-6.16
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	13.90	152.31	-58.82	-24.70	12.22
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	112.47	-53.63	-17.94	133.64	-6.06

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं है।

2020-21 में विगत वर्ष की अपेक्षा पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 3,917.07 करोड़) मुख्यतः निवल आंतरिक ऋण के कारण ₹ 252.65 करोड़ घट गई। लोक ऋण प्राप्तियां भविष्यगामी चुकौती देयताएं बनती हैं तथा इन्हें बाज़ार, वित्तीय संस्थाओं तथा केंद्र सरकार से लिया जाता है। 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में लोक ऋण प्राप्तियों का 64.41 प्रतिशत अवधि के दौरान लिए गए लोक ऋण को चुकाने में प्रयुक्त किया गया, शेष बचा मात्र 35.59 प्रतिशत ही अन्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया गया।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केन्द्रीय करों एवं सहायता-अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्तायोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं।

15वें वित्तायोग के आंकलन तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी की तुलना में वर्ष 2020-21 में राज्य की वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका-2.13 में दी गई हैं।

तालिका-2.13: राज्य के स्वयं के संसाधन: प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन	वास्तविक	वास्तविक की प्रतिशत भिन्नता	
				15वें वित्तायोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलन
कर राजस्व	11,272	9,090.26	8,083.31	(-) 28.29	(-) 11.08
कर-भिन्न राजस्व	2,228	2,410.46	2,188.46	(-) 1.77	(-) 9.21

राज्य के स्वयं के कर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक संग्रहण 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 28.29 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन से 11.08 प्रतिशत कम रहा। कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां 15वें वित्तायोग के प्राक्कलनों से 1.77 प्रतिशत तथा बजट आंकलन/ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन से 9.21 प्रतिशत कम रही। इस प्रकार, राज्य सरकार बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में प्राक्कलित स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का ज़िम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया पूंजीगत ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्रभावित न करें। संसाधनों के अनुप्रयोग का अनुवर्ती परिच्छेदों में व्यय के संघटन एवं वृद्धि, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता के अंतर्गत विश्लेषण किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार के व्यय को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय।

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसंपत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है, साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रतिदिन चलाने हेतु अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार साथ ही परियोजना परिचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त आवर्धन एवं संशोधन जो

सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका-2.13 (क) में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13 (क): कुल व्यय तथा उसके संघटक

(₹ करोड़ में)


मापदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.25
राजस्व व्यय	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93
पूंजीगत व्यय	3,499.03	3,755.67	4,583.41	5,173.91	5,309.21
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	3,289.69 [@]	502.53	467.98	458.21	320.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	125,633.65	138,551.06	149,442.00 ^अ	162,816.00 ^ब	156,522.32 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.58	22.60	23.08	22.33	25.02
राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	20.17	19.55	19.70	18.87	21.43
पूंजीगत व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.79	2.71	3.07	3.18	3.39
ऋण एवं अग्रिम/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.62	0.36	0.31	0.28	0.20

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

@ उदय स्कीम के डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण सम्मिलित


पांच वर्ष की अवधि (2016-21) में कुल व्यय में ₹ 7,031.31 करोड़ (21.88 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 2,801.70 करोड़ (7.70 प्रतिशत) बढ़ गया। 2016-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के सापेक्ष कुल व्यय 22.33 प्रतिशत से 25.58 प्रतिशत के मध्य रहा। 2016-21 के दौरान राजस्व व्यय में 32.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी दौरान पूंजीगत व्यय में 51.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसाकि चार्ट-2.8 में दर्शाया गया है, 2016-21 के दौरान कुल व्यय (उदय सहित) में राजस्व व्यय का अंश 78.9

से 86.7 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी भांति, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2016-17 के 10.9 प्रतिशत से बढ़ कर 2020-21 में 13.56 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों का अंश उदय योजना के तहत ₹ 2,890.50 करोड़ राशि के ऋण के संवितरण के कारण 10.24 प्रतिशत था, यद्यपि ऋणों व अग्रिमों का अंश विगत पांच वर्षों के दौरान (2017-21) लगभग स्थिर रहा।



गतिविधियों के संदर्भ में कुल व्यय, सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं अन्य पर व्यय से मिलकर बनता है। 2020-21 के दौरान, ₹ 39,164.25 करोड़ के कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक अंश के साथ-साथ ₹ 11,141.04 करोड़ (परिशिष्ट-2 में संदर्भित) के लोक ऋण चुकौती के घटकों को चार्ट-2.9 में दिया गया है।

चार्ट-2.9: 2020-21 के दौरान व्यय के संघटक (प्रतिशत में)




2016-21 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश तालिका-2.14 में दिए गए हैं।

तालिका-2.14: विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत में)

मानदण्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं	30.92	35.77	33.82	34.48	34.79
सामाजिक सेवाएं	33.15	36.64	36.73	36.59	37.23
आर्थिक सेवाएं	25.66	25.95	28.07	27.64	27.14
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा ऋण व अग्रिम)	10.27	1.64	1.38	1.29	0.84

चार्ट-2.10 2016-17 से 2020-21 की अवधि में कुल व्यय में क्षेत्रीय घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं अन्य के अंश में मामूली अंतर-वर्षीय विचलन आया। 2020-21 में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित), जो गैर-विकास व्यय का भाग बनता है, 2019-20 के 34.48 प्रतिशत से मामूली रूप से 34.79 प्रतिशत बढ़ गया। विकास व्यय अर्थात् दोनों सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय 2019-20 के 64.23 प्रतिशत के प्रति 2020-21 में 64.37 प्रतिशत रहा। विगत पांच वर्षों में ऋणों व अग्रिमों का अंश, उदय योजना के तहत ₹ 2,890.50 करोड़ राशि के ऋण संवितरण के कारण 2016-17 (10.24 प्रतिशत) को छोड़कर, लगभग स्थिर रहा।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा तंत्र में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। 2016-21 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में इसकी वृद्धि दर तालिका-2.15 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.15: 2016-21 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55	39,164.25
राजस्व व्यय	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.63	6.74	8.83	4.38	9.13
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	78.87	86.40	85.36	84.51	85.63
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.17	19.53	19.70	18.87	21.43
राजस्व प्राप्तियां	26,264.34	27,367.06	30,950.32	30,742.41	33,438
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	96.50	98.85	95.13	99.96	100.29
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.05	4.20	13.09	-0.67	8.77
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,25,633.65	1,38,551.10	149,442.00 ^अ	162,816.00 ^ब	156,522.32 ^स
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

अ - द्वितीय संशोधित अनुमान, ब- प्रथम संशोधित अनुमान, स- अग्रिम अनुमान

2016-21 के दौरान राजस्व व्यय में चार से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से ₹ 8,190.71 करोड़ (32.32 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। पांच वर्ष की अवधि 2016-21 में, राजस्व व्यय की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। 2020-21 (₹ 33,535 करोड़) में राजस्व व्यय में 2019-20 (₹ 30,730 करोड़) की अपेक्षा ₹ 2,805 करोड़ (9.13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में वृद्धि के कारण हुई, जैसा कि परिच्छेद 2.4.2.1 में विवर्णित है।


2020-21 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय का प्रतिशत लगभग एक ही स्तर अर्थात् क्रमशः 21.36 प्रतिशत व 21.43 प्रतिशत पर रहा। 2020-21 के दौरान राज्य को ₹ 97 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.06 प्रतिशत था।

2020-21 में हुआ ₹ 33,534.93 करोड़ का राजस्व व्यय, बजट एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए प्राक्कलनों (₹ 39,123 करोड़) से कम तथा 15वें वित्तायोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 31,764 करोड़) से अधिक रहा।

2020-21 से सम्बंधित राजस्व व्यय का क्षेत्रीय संवितरण चार्ट-2.11 में दिया गया है।

चार्ट-2.11: 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्र-वार संवितरण

(प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण परिवर्तन

विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि या गिरावट के मामले तालिका-2.16 में चिह्नित किए गए हैं।

तालिका-2.16: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
सामान्य सेवाएं	12,335.22	13,454.24	1,119.06
2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	5,489.75	6,088.39	598.65
2059-लोक निर्माण	237.2	580.59	343.39
2049-ब्याज भुगतान	4,234.02	4,472.45	238.43
2015-चुनाव	90.77	39.60	-51.16
2053-जिला प्रशासन	210.13	179.76	-30.37
सामाजिक सेवाएं	12,046.95	12,843.81	796.86
2217-शहरी विकास	447.34	800.11	352.78
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,228.62	1,421.14	192.52

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
2202-सामान्य शिक्षा	6,037.87	6,228.97	191.09
2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	942.18	1,095.95	153.76
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	743.99	457.17	-286.82
आर्थिक सेवाएं	6,338.01	7,227.49	889.47
3055-सड़क परिवहन	341.11	550.95	209.83
2401-फसल पालन	598.16	786.04	187.88
2801-विद्युत	406.2	525.60	119.40
3452-पर्यटन	20.14	134.52	114.38
2406-वानिकी एवं वन्यजीव	469.58	577.59	108.01
2505-ग्रामीण रोजगार	235.72	339.24	103.52
2501-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	35.76	138.87	103.11
2408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहॉउस	320.66	267.28	-53.38
2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	256.25	231.68	-24.57

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, लोक निर्माण एवं ब्याज भुगतान पर अधिक व्यय के कारण ₹ 1,119.06 करोड़ (9.07 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में मुख्यतः शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सामान्य शिक्षा तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर अधिक व्यय के कारण ₹ 796.86 करोड़ (6.61 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो प्राकृतिक आपदा राहत में गिरावट से आंशिक रूप से समायोजित हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं पर व्यय में सड़क परिवहन, फसल पालन, वानिकी, विद्युत इत्यादि पर अधिक व्यय के कारण ₹ 889.47 करोड़ (14.03 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखाओं पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार होता है। उच्च स्तर के प्रतिबद्ध व्यय से सरकार के पास विकास क्षेत्रों पर परिव्यय की गुंजाईश कम रह जाती है।

तालिका-2.17, 2016-21 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जबकि कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत अंश चार्ट-2.12 में दिया गया है।

तालिका-2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	9,681.67	10,765.83	11,210.42	11,742.23	11,903.67*
पेंशन पर व्यय	4,114.17	4,708.85	4,974.77	5,489.75	6,088.39
ब्याज भुगतान	3,358.91	3,788.22	4,021.52	4,234.02	4,472.45
योग	17,154.75	19,262.90	20,206.71	21,466.00	22,464.51
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	36.86	39.34	36.22	38.20	35.60
पेंशन पर व्यय	15.66	17.21	16.07	17.86	18.21
ब्याज भुगतान	12.79	13.84	12.99	13.77	13.38
योग	65.31	70.39	65.28	69.83	67.19
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	38.20	39.80	38.08	38.21	35.50
पेंशन पर व्यय	16.23	17.41	16.90	17.86	18.16
ब्याज भुगतान	13.25	14.00	13.66	13.78	13.34
योग	67.68	71.21	68.64	69.85	66.99

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वेतन: ₹ 11,641.16 करोड़; मजदूरी: ₹ 262.51 करोड़

चार्ट-2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



2020-21 के दौरान विगत वर्ष की अपेक्षा प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि ₹ 998.51 करोड़ (पांच प्रतिशत) थी। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय ने राजस्व व्यय (67-71 प्रतिशत) एवं राजस्व प्राप्तियों (65-70 प्रतिशत) का बड़ा अंश दर्ज किया, जिससे विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने के लिए बहुत कम संभावना बची।

वेतन एवं मजदूरी: 2020-21 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2016-17 के ₹ 9,681.67 करोड़ से बढ़ कर ₹ 11,903.67 करोड़ हो गया। 2020-21 के दौरान इसमें विगत वर्ष से ₹ 161.44 करोड़ की वृद्धि हुई तथा 2020-21 के दौरान यह राजस्व प्राप्तियों का 36 प्रतिशत था। चालू वर्ष में वेतन पर व्यय (₹ 11,903.67 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 13,099.47 करोड़) के भीतर रहा।

ब्याज भुगतान: 2020-21 में ब्याज भुगतान में 2016-17 के ₹ 3,358.91 करोड़ से 33 प्रतिशत बढ़ कर ₹ 4,472.45 करोड़ हो गया। विगत वर्ष से 2020-21 में वृद्धि ₹ 238 करोड़ (छः प्रतिशत) रही। ब्याज भुगतान दोनों राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का 13 प्रतिशत रहा। ब्याज भुगतान, मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (₹ 4,931.92 करोड़) से कम थे।

पेंशन भुगतान: 2020-21 में पेंशन भुगतान पर व्यय 2016-17 के ₹ 4,114.17 करोड़ से ₹ 6,088.39 करोड़ तथा गत वर्ष से चालू वर्ष के दौरान ₹ 598.64 करोड़ (11 प्रतिशत) बढ़ गया। 2020-21 के दौरान पेंशन भुगतान राजस्व व्यय का 18 प्रतिशत था। चालू वर्ष में पेंशन भुगतान पर व्यय (₹ 6,088.39 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलनों (₹ 7,266.00 करोड़) से कम रहा।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न करना

15 मई 2003 से या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत सम्मिलित किए गये हैं जो एक सीमित (परिभाषित) अंशदान योजना है। इस योजना की शर्तों में कर्मचारी उनके मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत कि भागीदारी करते हैं तथा राज्य सरकार द्वारा मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत (01 अप्रैल 2019 से प्रभावी) का अंशदान करती है; तथा सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से निधि प्रबंधक को हस्तांतरित की जाती है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 956.07 करोड़ (कर्मचारी अंशदान: ₹ 392.29 करोड़, सरकारी अंशदान: ₹ 563.76 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.02 करोड़) का कुल अंशदान हुआ, जो मुख्य शीर्ष 8342-117- “सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदायी पेंशन योजना” के तहत लोक लेखा में दर्ज किया गया। सीमित अंशदायी पेंशन योजना में सरकार के अंशदान एवं मुख्य शीर्ष 2071-01-117 में दर्शाई राशि में ₹ 19.16 करोड़ का अंतर था। राज्य सरकार ने सूचित किया (जनवरी 2022) कि आंकड़ों में अंतर का कारण राष्ट्रीय पेंशन योजना के अग्राहकों द्वारा सरकारी अंश वापस करने के कारण हो सकता है, जो पूर्व में राष्ट्रीय पेंशन योजना में थे परन्तु न्यायालय के आदेशों पर पुरानी पेंशन योजना में वापस चले गए; तथा उनका सरकारी अंश 8342-00-117-02 में ई-चालान के माध्यम से सीधे जमा किया।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक में जमा करने के लिए ₹ 946.77 करोड़ मुख्य शीर्ष 8342-117-सरकारी कर्मचारियों हेतु सीमित अंशदायी पेंशन योजना से हस्तांतरित किए। यद्यपि जैसाकि राज्य सरकार द्वारा बताया गया (सितम्बर 2021) कि वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक रूप से केवल ₹ 947.86 करोड़ ही राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्क्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड)/ट्रस्टी बैंक में जमा हुए थे। अभी भी ₹ 7.66 करोड़ की शेष राशि (₹ 1.64 करोड़ की डेबिट अथशेष राशि लेने के बाद) मुख्य शीर्ष 8342-117-सीमित अंशदान योजना में हस्तांतरित करना शेष थी।

2.4.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निकायों/निगमों को सब्सिडी देती है। 2020-21 में सब्सिडी पर व्यय 2016-17 के ₹ 763.96 करोड़ से ₹ 476.67 करोड़ (62 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 1,240.63 करोड़ हो गया। 2016-21 की अवधि के दौरान सब्सिडी राशि राजस्व प्राप्तियों की 3.01 प्रतिशत से 4.36 प्रतिशत रही, जैसा कि तालिका-2.18 में विवर्णित है।

तालिका-2.18: 2016-21 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	763.96	906.79	1,282.60	1,067.78	1,240.63
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	2.91	3.31	4.15	3.47	3.71
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	3.01	3.35	4.36	3.49	3.70

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2020-21 के दौरान विगत वर्ष की अपेक्षा सब्सिडी पर व्यय में ₹ 172.85 करोड़ (16 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई। वर्ष के दौरान ₹ 1,240.63 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया जो राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय दोनों का 3.7 प्रतिशत था। सब्सिडी के प्रमुख प्राप्तकर्ता थे - विद्युत (₹ 520.45 करोड़ या 41.95 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 239.97 करोड़ या 19.34 प्रतिशत), परिवहन (₹ 171.20 करोड़ या 13.80 प्रतिशत), कृषि (₹ 108.18 करोड़ या 8.72 प्रतिशत) तथा उद्यान (₹ 111.21 करोड़ या 8.96 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी की गई कुल सब्सिडी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 1,158.33 करोड़) से थोड़ी अधिक थी।

2.4.2.5 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों

एवं अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका-2.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका-2.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	554.49	249.31	487.99	456.22	814.58
पंचायती राज संस्थाएं	1,011.60	781.21	1,026.07	1,053.39	1,176.07
कुल (क)	1,566.09	1,030.52	1,514.06	1,509.61	1,990.65
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	849.57	905.15	951.22	1,020.83	944.59
विकास प्राधिकरण	150.37	111.07	143.68	99.16	238.37
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	271.64	343.87	337.38	439.71	458.23
अन्य संस्थान	519.31	504.85	687.61	437.17	931.27
कुल (ख)	1,790.89	1,864.94	2,119.89	1,996.87	2,572.46
कुल (क+ख)	3,356.98	2,895.46	3,633.95	3,506.48	4,563.11
राजस्व व्यय	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43	33,534.93
राजस्व व्यय के रूप में सहायता	13.25	10.70	12.34	11.41	13.61

स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी


तालिका-2.19 दर्शाती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2020-21 के दौरान 2016-17 के ₹ 3,356.98 करोड़ से ₹ 1,206.13 करोड़ (35.93 प्रतिशत) से बढ़कर गई ₹ 5,563.11 करोड़ हो गई, जो राजस्व व्यय का 13.61 प्रतिशत थी।

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सहायता की कुल प्रमात्रा में ₹ 1,056.63 करोड़ (30.13 प्रतिशत) की वृद्धि पाई गई। वर्ष 2020-21 के दौरान, शिक्षण संस्थानों के मामले को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता विगत वर्ष से अधिक थी। चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्राप्तकर्ताओं में से नगर निगम, नगरपालिका एवं पंचायती राज संस्थाओं (स्थानीय निकाय) दोनों ने कुल वित्तीय सहायता का 43.62 प्रतिशत दर्ज किया।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय, अचल अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों जैसे सड़क, भवनों इत्यादि के निर्माण पर हुआ व्यय है। 2016-21 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट-2.13 में दी गई है।

चार्ट-2.13: 2016-21 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



विगत पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2016-21 के दौरान इसमें ₹ 1,811 करोड़ (51.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय (₹ 5,309 करोड़) विगत वर्ष 2019-20 (₹ 5,174 करोड़) से ₹ 136 करोड़ (2.62 प्रतिशत) बढ़ गया। 2019-20 के 14.23 प्रतिशत की अपेक्षा 2020-21 के दौरान यह कुल व्यय का 13.56 प्रतिशत था।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका-2.20 विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा गिरावट के मामलों को चिह्नित करती है।

तालिका-2.20: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय के विचलन

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
पूंजीगत व्यय	5,173.91	5,309.22	135.31
सामान्य सेवाएं	203.74	169.54	(-) 34.20
सामाजिक सेवाएं	1,258.40	1,736.19	477.79
4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	598.92	1,001.51	402.59
4210-चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	231.78	302.05	70.27
आर्थिक सेवाएं	3,711.76	3,403.49	(-) 308.27
5054-सड़क एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	2,205.12	2,315.55	110.43

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	326.68	56.92	(-) 269.76
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	254.66	196.98	(-) 57.68

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2020-21 के दौरान पूंजीगत व्यय में ₹ 135.31 करोड़ (2.62 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः सामाजिक सेवाओं (₹ 477.79 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण हुआ, जो सामान्य सेवाओं (₹ 34.20 करोड़) एवं आर्थिक सेवाओं (₹ 308.27 करोड़) के अंतर्गत व्यय में हुई गिरावट से समायोजित हो गई। व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि जलापूर्ति एवं स्वच्छता, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य (सामाजिक सेवाएं) तथा सड़क एवं पुल (आर्थिक सेवाएं) के अंतर्गत हुई। यह खाद्य नियंत्रण परियोजनाओं एवं विद्युत परियोजनाओं में व्यय की कटौती द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हुई।

(i) निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2021 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं सहकारिताओं में ₹ 4,562.40 करोड़ का निवेश किया (तालिका-2.21)। विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 6.39 प्रतिशत था जबकि 2016-21 के दौरान सरकार ने अपने उधारों पर 8.09 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया।

तालिका-2.21: निवेशों पर निवेश व प्रतिफल का विवरण

निवेश/ प्रतिफल/ उधार लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष की समाप्ति पर निवेश (₹ करोड़ में)	3,293.54	3,532.97	3,848.83	4,261.06	4,562.40
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	289.63	255.58	181.91	248.44	245.43
प्रतिफल (प्रतिशत)	8.79	7.23	4.73	5.83	5.38
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	8.13	8.41	8.32	7.97	7.59
ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर (प्रतिशत)	-0.66	1.18	3.59	2.14	2.21
सरकारी उधारों पर ब्याज एवं निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण हानि (₹ करोड़ में) [#]	लागू नहीं	41.54	138.31	91.19	100.86

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष की समाप्ति पर निवेश X ब्याज दर व प्रतिफल के मध्य अंतर

₹ 4,562.40 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 4,068.72 करोड़ का निवेश (89 प्रतिशत) पांच³ कंपनियों में किया गया था।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-V में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् - सरकारी कंपनियों, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन/प्रास्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(ii) सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक-निजी भागीदारी बुनियादी ढांचे के विकास की मांग को पूरा करने के लिए सरकार या सांविधिक इकाई तथा किसी निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक सांझेदारी कार्य-रूपरेखा की व्यवस्था है। पूर्ण, प्रक्रियाधीन तथा योजनाबद्ध सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण तालिका-2.22 में दिया गया है:

तालिका-2.22: सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रक्रियाधीन		योजनाबद्ध	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	शहरी अवसंरचना	9	151.00	12	1,218.05	5	0
2.	ऊर्जा	31	4,238.45	12	2,737.92	52	3,049.00
3.	सामाजिक	4	115.00	0	0	0	0
4.	पर्यटन	2	51.57	4	873.43	1	278.46
5.	अन्य	0	0	2	15.50	0	0
योग		46	4,556.02	30	4,844.90	58	3,327.46

(iii) राज्य सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिम

सहकारी सोसायटियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थानों/संगठनों को ऋण व अग्रिम प्रदान करती है। तालिका-2.23, 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों सहित 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण व अग्रिमों का विवरण प्रस्तुत करती है।

³ सतलुज जल विद्युत निगम सीमित (₹ 1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित (₹ 347.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹ 924.85 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित (₹ 794.63 करोड़) एवं हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹ 903.60 करोड़)

तालिका-2.23: 2016-21 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियों/उधार लागत की प्रमात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया ऋण का अथ शेष *	2,784.08	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	3,289.9	502.53	467.98	458.21	320.12
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	29.50	39.62	21.83	21.03	23.02
बकाया ऋण का अंत शेष *	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49	7,687.59
निवल योग	3,260.19	462.91	446.15	437.17	297.09
प्राप्त ब्याज	80.35	255.59	272.15	135.11	248.91
सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम पर ब्याज दर	2.89	4.24	4.18	1.94	3.37
गत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	8.15	8.02	7.88	7.80	7.19
चुकाए गए ब्याज व प्राप्त प्राप्तियों की दर के मध्य अंतर के कारण अनुमानित हानि (प्रतिशत)	5.26	3.78	3.70	5.86	3.82

स्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 के बाद से, उदय योजना के अंतर्गत डिस्काॅम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का ऋण अथ व अंत शेष में शामिल है।

31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण व अग्रिम की कुल राशि ₹ 7,687.59 करोड़ थी। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत् क्षेत्र: ₹ 254.32 करोड़ (79.45 प्रतिशत) तथा उसके पश्चात् सहकारिता: ₹ 58.56 करोड़ (18.29 प्रतिशत) रहा।

2017-18 में वसूल की गई ₹ 39.62 करोड़ की राशि विगत पांच वर्षों में ऋण व अग्रिम वसूली की सर्वोच्च प्रमात्रा थी। तदोपरांत 2018-21 के दौरान ऋण व अग्रिम वसूली ₹ 21.03 करोड़ से ₹ 23.02 करोड़ के मध्य स्थिर रही। 2020-21 के दौरान राशि ₹ 23.02 करोड़ की वसूली की गई। उदय हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड से ₹ 113.89 करोड़ की ब्याज की किस्त प्राप्त न होने से 2019-20 में हुई भारी गिरावट को छोड़कर ऋण व प्राप्तियों पर ब्याज प्राप्तियां विगत चार वर्षों (2017-21) के दौरान लगभग स्थिर रहीं। ऋण व अग्रिमों की कमजोर वसूली, राज्य सरकार द्वारा वसूली तंत्र की समीक्षा की आवश्यकता को चिह्नित करती है।

कुल बकाया ऋणों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विगत पांच वर्षों (मार्च 2021 तक) में विद्युत् परियोजनाओं तथा उद्योग व खनिज के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों ने ऋणों की चुकौती नहीं की थी, फिर भी उन्हें अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए थे।

(iv) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त सम्बंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण व ब्याज देयताओं को पूरा करने के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है। वर्ष 2020-21 हेतु राज्य के वित्त लेखाओं के परिशिष्ट-IX के अनुसार 31 मार्च 2021 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग में 78 अपूर्ण/प्रक्रियाधीन परियोजनाएं (कुछ मंडलों द्वारा आपूरित सूचना के अनुसार) थीं। 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की आयु रूपरेखा एवं विभाग-वार रूपरेखा तालिका-2.24 (क) व तालिका-2.24 (ख) में दी गई है।

तालिका-2.24 (क): 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की आयु रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

प्रारंभ होने का वर्ष	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/ संशोधित लागत	व्यय (31 मार्च 2021 तक)
1995	1	8.52	5.08
1996	1	5.62	9.40
1998	1	4.55	26.81
2003	1	9.28	25.03
2004	1	51.46	71.20
2005	1	5.45	10.14
2007	2	12.96	17.70
2008	1	2.15	0.71
2009	1	6.09	6.23
2011	3	59.40	66.39
2012	2	129.70	60.81
2013	7	61.66	69.41
2014	6	188.34	371.98
2015	13	50.68	36.74
2016	11	179.24	141.45
2017	9	70.72	37.35
2018	14	84.87	49.29
2019	3	13.86	8.33
योग	78	944.55	1,014.05

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका-2.24 (ख): 31 मार्च 2021 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य (जल शक्ति)	40	434.39	786.05
लोक निर्माण (सड़क व पुल)	38	510.16	228.00
योग	78	944.55	1,014.05

स्रोत: वित्त लेखे

इन परियोजनाओं को, समय बीतने के कारण लागत वृद्धि से बचने के लिए एवं विलंब किए बिना पूर्ण करने हेतु प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उसके व्यय को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि सम्बंधित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकताएं (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका-2.25, 2016-17 को आधार वर्ष लेते हुए 2020-21 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय तथा पूंजीगत व्यय के संदर्भ में विशेष श्रेणी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका-2.25: 2016-17 एवं 2020-21 में राज्य की व्यय प्राथमिकताएँ

(प्रतिशत में)


राज्य की राजकोषीय प्राथमिकताएँ	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	विकासात्मक व्यय/कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	शिक्षा/कुल व्यय	स्वास्थ्य / कुल व्यय
2016-17 में औसत (अनुपात)							
विशेष श्रेणी राज्य	26.50	35.64	31.30	66.20	15.97	16.67	5.67
हिमाचल प्रदेश	25.58	33.15	35.87	69.02	10.89	16.31	5.56
2020-21 में औसत (अनुपात)							
विशेष श्रेणी राज्य	26.92	32.95	27.14	57.33	15.67	15.22	6.15
हिमाचल प्रदेश	25.02	37.38	27.95	65.18	13.56	17.11	6.38

- जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है 2016-17 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के समग्र व्यय के अनुपात के रूप में राजकोषीय प्राथमिकता का प्रत्येक घटक (आर्थिक क्षेत्र व्यय एवं विकासात्मक व्यय को छोड़कर) विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था। यद्यपि 2020-21 के दौरान सभी घटक विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक (पूँजीगत व्यय को छोड़कर) रहे।
- 2016-17 एवं 2020-21 के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम रहा।
- 2016-17 एवं 2020-21 के दौरान राज्य का आर्थिक क्षेत्र पर व्यय एवं विकासात्मक व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक रहा।

2.4.5 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय, वस्तु/व्यय के प्रयोजन के विषय में जानकारी प्रदान करता है। चार्ट-2.14 में वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण दिया गया है।

चार्ट-2.14: वस्तु शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत में)



2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष, वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2021 की समाप्ति पर राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका-2.26 में दिए गए हैं।

तालिका-2.26: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

विभाग	उप विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
I.-लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	11,844.41	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64
	कुल (I):	11,844.41	13,236.38	14,349.53	15,537.13	16,522.64
J.-आरक्षित निधि	(क) सब्याज आरक्षित निधि	0.95	8.48	1.00	1,887.65	1,882.54
	(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधि	218.63	316.54	316.60	834.66	834.66
	कुल (J):	219.58	325.02	317.60	2,722.31	2,717.20
K.-निकषेप एवं अग्रिम	(क) सब्याज निकषेप	8.07	-0.89	-1.41	-1.64	7.66
	(ख) ब्याज रहित निकषेप	2,601.51	2,799.09	3,208.52	3,382.45	3454.50
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.53	-0.53	-0.51	-0.51
	कुल (K):	2,609.05	2,797.67	3,206.58	3,380.30	3,461.65
L.-उचंत एवं विविध	(क) उचंत	191.81	73.04	74.12	-1,330.44	-1,539.83
	(ख) अन्य लेखे	-759.25	-723.54	-101.91	-982.25	-1,696.28
	(ग) विदेशी सरकारों के साथ लेखे	-	-	-	-	-
	(घ) विविध	-	-	-	-	-
	कुल (L):	-567.44	-650.50	-27.79	-2,312.69	-3,236.11
M.-प्रेषण	(क) मनीआर्डर एवं अन्य प्रेषण	332.91	398.45	509.19	612.45	546.02
	(ख) अंतर-सरकारी समायोजन लेखे	-4.69	-1.21	0.31	-6.16	-4.11
	कुल (M):	328.22	397.24	509.50	606.29	541.91
सकल योग		14,433.82	16,105.81	18,355.42	19,933.34	20,007.29


स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी:- (ऋणात्मक) डेबिट शेष को दर्शाता है तथा + (धनात्मक) क्रेडिट शेष को दर्शाता है

2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष राशि के संगठकों में आए वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.15 में दिए गए हैं।

चार्ट-2.15: लोक लेखा शेष के संघटकों में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

टिप्पणी: उचंत एवं विविध को अन्य लेखाओं से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त तालिका-2.26 से स्पष्ट है कि 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान लोक लेखा शेष में लगातार वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान यह 2016-17 के ₹ 14,433.82 करोड़ से ₹ 5,573 करोड़ बढ़कर ₹ 20,007.29 करोड़ हो गया।

2020-21 में लोक लेखा के तहत अंत शेष 2019-20 के ₹ 19,933.34 करोड़ से ₹ 73.95 करोड़ (क्रेडिट) (0.37 प्रतिशत) थोड़ा बढ़कर ₹ 20,007.29 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यतः लघु बचत (₹ 985.51 करोड़) एवं निक्षेप व अग्रिम (₹ 81.35 करोड़) के शीर्षों के तहत क्रेडिट शेष में वृद्धि होने के कारण हुई, जो उचंत एवं विविध के तहत डेबिट शेष (₹ 923.42 करोड़) में हुए परिवर्तनों से समायोजित हो गई।

2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं कि विवरणी 21 व 22 में उपलब्ध है। पांच आरक्षित निधियां (दो आरक्षित निधियां सब्याज एवं तीन आरक्षित निधियां ब्याज रहित) निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु निर्धारित की गई थीं। यदि ब्याज रहित आरक्षित निधियों में निवेश नहीं किया गया हो तो इन सब्याज आरक्षित निधियों के शेष पर ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है तथा इन शेषों को भारतीय रिजर्व बैंक नागपुर के केन्द्रीय लेखा विभाग के प्रशासन के अंतर्गत सरकारी

प्रतिभूति/कोषागार बिल में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2021 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि (सब्याज एवं ब्याज रहित) तालिका-2.27 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.27: आरक्षित निधियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2021 तक बकाया शेष
क	सब्याज आरक्षित निधियां	1,882.54
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि	233.81
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1648.73
ख	ब्याज रहित आरक्षित निधियां	834.66
1	औद्योगिक विकास निधि	0.16
2	विद्युत विकास निधि	315.52
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	518.98
	सकल योग	2,717.20

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त में से ब्याज रहित दो आरक्षित निधियां अर्थात् औद्योगिक विकास एवं विद्युत विकास विगत पांच वर्षों से परिचालन में नहीं थीं। राज्य सरकार को इन अपरिचालित आरक्षित निधियों को बंद करना तथा शेष राशि को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करना शेष है।

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों की शर्तों में राज्य सरकारों से बकाया देयताओं के निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रशासित समेकित ऋण शोधन निधि सृजित करना अपेक्षित है। राज्यों द्वारा इच्छा आधार पर अपनाते हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश 2006 द्वारा परिचालित आदर्श समेकित ऋण शोधन निधि योजना के अनुसार, राज्य सरकार को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वार्षिक अंशदान करना था। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्तायोग की संस्तुतियों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया गया।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार केंद्र एवं राज्य सरकार से इस निधि में क्रमशः 90:10 के अनुपात में अंश देना अपेक्षित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अंश की प्राप्ति को राज्य लेखाओं में मुख्य शीर्ष 1601- केंद्र सरकार से सहायता

अनुदान 07- वित्त आयोग अनुदान 104- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु सहायता अनुदान के अंतर्गत राजस्व के रूप में लेखांकित किया जाता है। अंशदान की समस्त राशि (केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश) को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में हस्तांतरण हेतु समर्थ बनाने के लिए राज्य सरकार को शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदा लेखा पर राहत-05 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-101-आरक्षित निधि को हस्तांतरण एवं निपेक्ष लेखे- राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत उचित बजट प्रावधान करना होगा। केन्द्रीय अंश की प्राप्ति होने पर राज्य अपने अंश के साथ यह राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अधीन सब्याज आरक्षित निधि के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित करेगा। राहत कार्यों पर हुआ वास्तविक व्यय केवल मुख्य शीर्ष 2245 के भीतर सम्बंधित उप/लघु शीर्ष में ही बुक किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि के साथ केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 409 करोड़ प्राप्त किए। राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ₹ 454 करोड़ (केन्द्रीय अंश के रूप में ₹ 409 करोड़ एवं राज्यांश के रूप में ₹ 45 करोड़) हस्तांतरित किए। वर्ष के दौरान ₹ 454.00 करोड़ की कुल राशि में से ₹ 447.12 करोड़ का संवितरण/उपयोग किया गया। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने कोई राशि निवेश नहीं की।

31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के शेष ₹ एक करोड़ का निवेश नहीं किया। यदि इस निधि का निवेश किया होता तो ₹ 0.06 करोड़ का ब्याज अर्जित किया जा सकता था।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बांड एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति विमोच्य निधि का गठन किया जाता है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी। राज्यों द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने ड्राफ्ट योजना परिचालित की जिसके अनुसार राज्य सरकार से चालू वित्त वर्ष से पूर्व के द्वितीय

वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों, जैसा कि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों में दर्शाया गया है, के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित था। यद्यपि राज्य सरकार ने अब तक प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की।

2.5.2.4 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि

क्षतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बंधित गतिविधियाँ एवं इसके अतिरिक्त अन्य सम्बंधित अथवा वहां घटित आकस्मिक मामलों के लिए संग्रहित धन के उपयोग एवं प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि का सृजन आवश्यक है। इस निधि के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से कोई राशि प्राप्त नहीं की। 2020-21 के दौरान ₹ 1,768.22 करोड़ (अथशेष: ₹ 1,660.72 करोड़ + वर्ष के दौरान जमा ब्याज: ₹ 107.50 करोड़) के प्रगतिशील शेष राशि में से मात्र ₹ 119.49 करोड़ संवितरित किए गए तथा 2020-21 की समाप्ति पर इस शीर्ष के तहत ₹ 1,648.73 करोड़ अव्ययित रहे। यह राशि शीर्ष 8121-129- राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि के तहत बुक की गई है।


2.5.3 उचंत एवं विविध

2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय के प्रमाणस्वरूप वाउचर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) ने ₹ 227.65 करोड़ (राजस्व व्यय ₹ 81.77 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 145.88 करोड़) की राशि पर आपत्ति की तथा सम्पूर्ण राशि को लोक लेखा के तहत वस्तु शीर्ष 8658-102-उचंत लेखा के अंतर्गत अवरोधित/ निलंबित रखा गया। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में आपत्ति की गई इस राशि को वित्त लेखाओं में राजस्व/पूंजीगत व्यय अथवा विनियोजन लेखाओं में व्यय के रूप में दर्ज नहीं की गई।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु, जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

2016-17 से 2020-21 की अवधि हेतु समग्र ऋण की वर्ष-वार प्रास्थिति चार्ट-2.16 में नीचे दी गई है:



* सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण की गणना वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर की गई है।

2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक

राज्य सरकार का कुल ऋण राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति व वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताओं से मिलकर बनता है। वर्ष 2020-21 हेतु राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट-2.17 में प्रस्तुत की गई हैं। 2016-21 पांच वर्ष की अवधि हेतु राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्ति तालिका-2.28 में दर्शाई गई है।

तालिका-2.28: घटक-वार ऋण प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
समग्र बकाया ऋण (1+2)		47,244.02	51,030.51	54,299.19	62,211.84	67,164.75*	
1.	लोक ऋण	(क) आंतरिक ऋण	31,494.03	33,591.47	35,363.18	39,527.77	42,918.22
		(ख) भारत सरकार से प्राप्त ऋण	1,076.43	1,079.43	1,061.77	1,043.81	1,544.51*
2.	लोक लेखा देयताएं	14,673.56	16,359.61	17,874.24	21,640.26	22,702.02	
3.	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.68	8.01	6.41	14.57	7.96	

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन


4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,25,634	1,38,551	1,49,442	1,62,816	1,56,522
5.	समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	37.60	36.83	36.33	38.21	42.91*
6.	लोक ऋण प्राप्तियां	8,603.31	5,600.29	6,427.41	10,847.39	15,032.21*
7.	लोक ऋण चुकौतियां	3,942.84	3,499.85	4,673.34	6,700.75	11,141.05
8.	उपलब्ध लोक ऋण (6-7)	4,660.47	2,100.44	1,754.07	4,146.64	3,891.16
9.	लोक ऋण चुकौतियां / प्राप्तियां (प्रतिशत) (7/8)	45.83	62.49	72.71	61.77	74.11
10.	निवल लोक लेखा प्राप्तियां	1,386.11	1,686.04	1,514.64	2,457.90	787.97
11.	कुल उपलब्ध ऋण (8+10)	6,046.58	3,786.48	3,268.71	6,604.54	4,679.13

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है।

चार्ट-2.17: 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)



2020-21 में राज्य की कुल वित्तीय देयताएं 2016-17 के ₹ 47,244 करोड़ से 42.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 67,165 करोड़ हो गई, जो मुख्यतः आंतरिक ऋण (₹ 11,424 करोड़) एवं लोक लेखा देयताएं (₹ 8,028 करोड़) में वृद्धि के कारण थी। 2020-21 में विगत वर्ष के 14.57 प्रतिशत की तुलना में समग्र राजकोषीय देयताओं में 7.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2016-17 के 37.60 प्रतिशत से बढ़कर 42.91 प्रतिशत* हो गया। देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 2.01 गुना तथा राज्य के अपने संसाधनों का 6.54 गुना थीं। उल्लेखनीय है कि वास्तविक बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात, जो 42.91 प्रतिशत* था, 15वें वित्त आयोग


* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़ कर गणना की गई है।

(36 प्रतिशत) एवं बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (33.62 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था।

विगत पांच वर्षों (2016-21) के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का प्रतिशत 36 से 43 प्रतिशत के मध्य रहा। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान लगभग 46 प्रतिशत से 74 प्रतिशत ऋण प्राप्तियों का उपयोग पिछले दायित्वों के पुनर्भुगतान हेतु किया गया।

चार्ट-2.18: लिया गए एवं चुकाए गए आंतरिक ऋण के वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे

2020-21 में राज्य सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण 2016-17 के ₹ 8,502 करोड़ से ₹ 5,935 करोड़ (70 प्रतिशत) बढ़कर ₹ 14,437 करोड़ हो गया। 2020-21 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹3,144 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया।

बाजारी उधार, राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा है, जिसकी ब्याज दरें 6.30 से 9.75 प्रतिशत के मध्य हैं। 2020-21 में ₹ 14,437 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से, बाजारी उधार ₹ 6,000 करोड़ थे। ₹ 11,047 करोड़ के कुल आंतरिक ऋण चुकौती में से बाजार ऋणों की चुकौती ₹ 2,245 करोड़ थी। 31 मार्च 2021 तक ₹ 31,897 करोड़ के बाजारी उधार बकाया थे। वर्ष के दौरान बाजारी उधार की निवल वृद्धि 13.34 प्रतिशत (₹ 3,755 करोड़) थी। राज्य सरकार को न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखने के लिए 63 अवसरों पर भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष (₹ 7,744 करोड़) लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान ही चुका दिया गया था।

राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) तालिका-2.29 में परिलक्षित होता है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान वित्तीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए आंतरिक ऋण,

भारत सरकार से ऋण, लोक लेखा सहित ऋण प्रवृत्तियों को चार्ट-2.19 में चिह्नांकित किया गया है।

तालिका-2.29: राजकोषीय घाटे के घटक एवं उसका वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटे के संघटक	2,948.60	3,869.87	3,512.54	5,597.06	5,700.09
क राजस्व अधिशेष/घाटा	920.12	313.90	1,508.21	11.98	(-) 96.66
ख निवल पूंजीगत व्यय	(-) 3,499.03	(-)3,720.85	(-)4,574.59	(-)5,171.87	(-)5,306.33
ग निवल ऋण व अग्रिम	(-)369.69 [#]	(-)462.92	(-)446.16	(-)437.17	(-)297.10
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न)*					
1 बाजारी उधार	2,162.65	2,550.99	2,108.10	4,460.00	3,755.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	27.38	3.00	(-)17.65	(-) 17.95	2,217.73 ^{\$}
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	(-) 500.77	(-)514.71	(-)538.25	(-) 569.10	(-) 569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	80.31 [#]	61.16	201.86	273.69	204.54
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,204.51	1,391.97	1,113.14	1,187.60	985.51
6 निक्षेप एवं अग्रिम	181.36	188.63	408.91	173.71	81.35
7 उचंत व विविध	(-) 71.74	(-)118.76	1.08	(-) 1,404.92	(-) 209.39
8 प्रेषण	(-)35.23	69.02	112.25	96.80	(-) 64.38
9 आरक्षित निधियां	0.25	105.45	(-) 7.43	2,404.71	(-) 5.11
10 समग्र घाटा	3048.72	3736.75	3382.01	6604.54	6,396.15
11 नकद शेष में वृद्धि (-)/ गिरावट (+)	(-) 100.12	133.12	130.53	(-) 1,007.48	(-) 696.06
12 सकल राजकोषीय घाटा	2,948.60	3,869.87	3,512.54	5,597.06	5,700.09

स्रोत: वित्त लेखे


*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का निवल हैं।

₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) की राशि को छोड़कर

\$ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल हैं।

चार्ट-2.19: 2016-21 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



2020-21 में ₹ 5,700 करोड़ के राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण जिसमें बाजारी उधार, वित्तीय संस्थानों से ऋण, लघु बचत आदि शामिल थे, के माध्यम से वित्तपोषित किया गया, जैसा कि तालिका-2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.30: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां व संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्ति	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	6,000.00	2,245.00	3,755.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	2,311.87	94.14	2,217.73*
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0	569.10	-569.10
4 वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण	692.86	488.32	204.54
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,665.79	2,680.28	985.51
6 निक्षेप एवं अग्रिम	3,555.45	3,474.10	81.35
7 उचंत व विविध	884.56	1,093.95	-209.39
8 प्रेषण	6,774.69	6,839.07	-64.38
9 आरक्षित निधियां	564.40	569.51	-5.11
10 समग्र घाटा	24,449.62	18,053.47	6,396.15*
11 नकद शेष में वृद्धि/ गिरावट	1,060.18	1,756.24	-696.06
12 सकल राजकोषीय घाटा	23,389.44	16,297.23	5,700.09*

स्रोत: वित्त लेखे

* वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी

ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है।

लोक ऋण


राज्य के बकाया लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा तालिका-2.31 एवं चार्ट-2.20 में दी गई है।

तालिका-2.31 लोक ऋण की अदायगी की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

परिपक्वता वर्ष	अदायगी अवधि (वर्ष)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त ऋण व अग्रिम	कुल	
2021-22 से	0 - 1	3,050	97	3,147	7.18
2022-23 व 2023-24 के मध्य	1 - 3	6,850	204	7,054	16.09
2024-25 व 2025-26 के मध्य	3 - 5	7,701	124	7,825	17.85
2026-27 व 2027-28 के मध्य	5 - 7	8,329	112	8,441	19.25
2028-29 से लगातार	7 व उससे ऊपर	16,988	390*	17,378*	39.63
योग		42,918	927	43,845	100

स्रोत: वित्त लेखे

* इस राशि में वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ तथा ₹ 617.90 करोड़ (पूँजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना: ₹ 533.00 करोड़; पूर्व-1984-85 ऋण: ₹ 0.13 करोड़ एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना ऋण: ₹ 84.77 करोड़) जिनकी परिपक्वता अनिश्चित है, को शामिल नहीं किया गया।




तालिका-2.31 से स्पष्ट है कि मार्च 2021 तक कुल बकाया लोक ऋण (मूलधन) ₹ 44,463 करोड़ था, जिसमें वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं हैं। ₹ 618 करोड़ की राशि के ऋणों की परिपक्वता अनिश्चित होने के कारण इन्हें बकाया ऋण की परिपक्वता रूपरेखा में शामिल नहीं किया गया। 31 मार्च 2021 तक लोक ऋण के ₹ 43,845 करोड़ (₹ 44,463 करोड़ - ₹ 618 करोड़) के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा

दर्शाती है कि कुल बकाया ऋण का 60 प्रतिशत (₹ 26,467 करोड़) आने वाले सात वर्षों में तथा शेष ₹ 17,378 करोड़ (40 प्रतिशत) को सातवें वर्ष के बाद परिपक्व होना है।

ब्याज सहित बकाया लोक ऋण की अदायगी की समय-सारणी चार्ट-2.21 में दी गई है।

चार्ट-2.21: लोक ऋण की अदायगी की समय-सारणी



टिप्पणी: ₹ 1,717 करोड़ (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त) एवं ₹ 617.90 करोड़ (जिसकी परिपक्वता अनिश्चित है) का प्रभाव लोक ऋण की गणना में नहीं लिया गया।


अगले एक वर्ष में ब्याज सहित कुल बकाया लोक ऋण ₹ 65,860 करोड़ (मूल: ₹ 43,845 करोड़ व ब्याज: ₹ 22,015 करोड़) में से 10 प्रतिशत (₹ 6,475 करोड़) देय है, 39 प्रतिशत (₹ 25,606 करोड़) अगले दो से पांच वर्षों में देय है, जबकि शेष 51 प्रतिशत (₹ 33,778 करोड़) की अदायगी पांच वर्षों के बाद की जानी है। अगले पांच वर्षों 2025-26 तक, लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 6,416 करोड़ होगा। वर्ष के दौरान ब्याज सहित लोक ऋण (मूलधन) की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 6,618 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष के ₹ 7,444 करोड़ को छोड़कर) है।

बाजारी उधार / ऋण

बकाया बाजारी ऋण एवं उस पर भविष्य में चुकाए जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण चार्ट-2.22 में दिया गया है।

चार्ट-2.22: बाजारी ऋणों की अदायगी की समय-सारणी

(₹ करोड़ में)



राज्य को अगले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2023-24 तक बाजारी ऋणों पर ₹ 5,322 करोड़ मूलधन एवं ₹ 6,974 करोड़ ब्याज चुकाना होगा। 2025-26 तक आगामी दो वर्षों में ₹ 4,995 करोड़ मूलधन एवं ₹ 3,762 करोड़ ब्याज देय होगा। 2025-26 तक अगले पांच वर्षों के दौरान बाजारी ऋण अदायगी व ब्याज पर वार्षिक व्यय लगभग ₹ 4,211 करोड़ होगा। वर्ष के दौरान ब्याज सहित ऋणों की चालू वार्षिक अदायगी ₹ 4,457 करोड़ है।

2026-27 से 2030-31 के दौरान, ₹ 16,480 करोड़ का ऋण एवं ₹ 5,605 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऐसे में राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 4,417 करोड़ की अदायगी वार्षिक रूप से करनी होगी।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता का निर्धारण करने वाले तथा भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों को चुकाने में उसकी क्षमता का संकेत देने वाले विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग बकाया ऋणों की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति, ऋण भुगतान व ऋण प्राप्ति के अनुपात; राज्य के पास उपलब्ध कुल ऋण के सन्दर्भों में सरकार के ऋण की धारणीयता का आंकलन प्रस्तुत करता है। तालिका-2.32, 2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में इन सूचकांकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका-2.32: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता सूचकांक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	32,570	34,671	36,425	40,572	44,463 [§]
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.70	6.45	5.06	11.39	9.59
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,25,634	1,38,551	1,49,442	1,62,816	1,56,522
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.97	10.28	7.86	8.95	-3.87
लोक ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	25.92	25.02	24.37	24.92	28.41 [§]
लोक ऋण पर ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,459	2,829	2,958	3,071	3,228
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (अदा ब्याज/लोक ऋण का अथ शेष + लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.13	8.41	8.32	7.97	7.59
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.36	10.34	9.56	9.99	9.65
लोक ऋण प्राप्तियों से लोक ऋण भुगतान का प्रतिशत	45.83	62.49	72.71	61.77	74.12
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण [#] (₹ करोड़ में)	2,201	(-729)	(-1,204)	1,076	664
ऋण प्राप्तियों के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	25.58	-13.02	-18.73	9.91	4.42
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार [@] + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	1,010	566	342	-969	-6,322

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे।

राज्य को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति आधिक्य के रूप में की जाती है।

* बकाया लोक ऋण, केंद्र सरकार से शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण व अग्रिम के तहत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।

@ प्रमात्रा विस्तार = ऋण X ब्याज विस्तार; ब्याज विस्तार = सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर - औसत ब्याज दर


§ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को छोड़कर।

ऋण धारणीयता की आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण की ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना होगी बशर्ते प्राथमिक शेष शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार यदि प्राथमिक घाटा एवं परिमाण विस्तार दोनों ऋणात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः बढ़ जाएगा।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में लोक ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 24.37 से 28.41 प्रतिशत था। 2020-21 में विगत वर्ष की तुलना में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की वृद्धि का मुख्य कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ऋणात्मक (-3.87 प्रतिशत) तथा लोक ऋण की वृद्धि दर (9.59 प्रतिशत) बढ़ने के कारण हुई।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि में ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति चार्ट-2.23 में दर्शाई गई है।

चार्ट-2.23: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति



2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण ₹ 32,570 करोड़ से 36.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 44,463 करोड़ तक बढ़ गया (वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार द्वारा राज्य को एक के बाद एक ऋणों (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल नहीं है)। यह उल्लेखनीय है कि जहाँ 2016-21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.65 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर पर वृद्धि हुई, इसी अवधि के दौरान बकाया लोक ऋण (₹ 1,717 करोड़ राशि को छोड़ते हुए) में 8.09 प्रतिशत की दर से तीव्र वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों का नौ से 10 प्रतिशत था तथा ऋण प्राप्तियों का 46 से 74 प्रतिशत भाग मौजूदा देयताओं के निर्वहन हेतु उपयोग किया गया।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होना चाहिए। उधार ली गई निधियों की वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका-2.33 एवं चार्ट-2.24 में नीचे दर्शाई गई है।

तालिका-2.33: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)


वर्ष	1	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल उधार	2	8,603.31	5,600.29	6,427.40	10,847.39	15,032.21 [@]
पिछले उधारों की अदायगी (मूलधन)	3	3,942.84 (45.83)	3,499.85 (62.49)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)	11,141.04 (74.11)
निवल पूंजीगत व्यय*	4	3,499.03 (40.67)	2,100.44 (37.51)	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)	3,891.17 (25.89)
संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	5	1,161.44 (13.50)	-निरंक-	- निरंक -	- निरंक -	- निरंक -
राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग	6	{2-(3+4+5)}	-निरंक-			

@ वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में गिरावट के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋण (बैंक-टू-बैंक लोन) के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है।

* निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय-विविध पूंजीगत प्राप्तियां कोष्ठक में दिए गए आंकड़े उधार ली गई निधियों के उपयोग को दर्शाते हैं।

चार्ट-2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियां

(प्रतिशत में)



2016-21 के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था। पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी हेतु उधार ली गई निधियों का उपयोग 46 से 74 प्रतिशत एवं पूंजीगत व्यय हेतु 26 प्रतिशत से 41 प्रतिशत था।

2020-21 के दौरान उधार ली गई निधियों का 74.11 प्रतिशत पिछले उधारों (मूलधन) के लिए तथा 25.89 प्रतिशत का उपयोग पूंजीगत व्यय हेतु किया गया।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति) - आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति


गारंटियां, राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं होती हैं, जो उधारकर्ताओं, जिन्हें गारंटी दी गई थी, के बकाया (चूक) होने की स्थिति में उत्पन्न होती हैं। वित्त लेखों की विवरणी-9 एवं 20 के अनुसार विगत पांच वर्षों में राज्य द्वारा अधिकतम राशि हेतु दी गई गारंटियां तालिका-2.34 में दी गई हैं तथा 31 मार्च 2021 की समाप्ति तक राज्य सरकार से गारंटियां प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता/निकायों के विवरण चार्ट-2.25 में दिए गए हैं।

तालिका-2.34: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गारंटियों की बकाया राशि	4,550.42	4,393.66	4,309.21	1,947.07	2,141.76
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,053.02	146.27	74.28	639.70	418.03
वर्ष के दौरान विलोपन	2,217.00	303.03	158.72	3,001.84*	165.60
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों से गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	19	17	16	6	7

* वित्त लेखाओं से हटाई गई ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) एवं ₹ 13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी के रूप में दर्शाई गई थी।

चार्ट-2.25: 31 मार्च 2021 के अंत तक गारंटी प्राप्त करने वाले निकाय



2020-21 के दौरान गारंटी की कोई राशि नहीं मांगी गई। 31 मार्च 2021 तक वित्त लेखों के

अनुसार गारंटियों की बकाया राशि ₹ 2,141.76 करोड़ थी। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में चालू लेखे नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों के अंतर का मिलान नहीं किया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार की गारंटी के मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत (₹ 138 करोड़), सांविधिक निगम एवं बोर्ड (₹ 204 करोड़), एवं सहकारिता बैंक (₹ 75.85 करोड़) रहे (चार्ट-2.25)। 2020-21 की समाप्ति पर गारंटी की बकाया राशि (₹ 2,142 करोड़) राज्य की विगत वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों का सात प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 एवं सरकार के दिशा-निर्देशानुसार (6 मार्च 1992) गारंटी के अनुमोदन के समय उधारकर्ता से गारंटी शुल्क (एक प्रतिशत) एवं प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) उदग्रहित किया जाना है। राज्य सरकार को निकायों/इकाइयों से प्राप्तयोग्य गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की राशि की जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों (2018-19 से) में राज्य सरकार ने गारंटी शुल्क व प्रतिबद्धता प्रभार की कोई राशि प्राप्त/उदग्रहित नहीं की। 2019-20 में ₹ 0.72 लाख एवं 2020-21 में ₹ 2.16 करोड़ की राशि राज्य सरकार ने प्राप्त की।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाये रखना होगा। यदि किसी दिन न्यूनतम अनुमत से शेष कम हो जाता है तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है।

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2020 से 16 अप्रैल 2020 तक ₹ 715 करोड़ एवं 17 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक ₹ 880 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय भी देती है।

2020-21 के दौरान राज्य सरकार 302 दिनों के लिए न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रख सकी। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से कुल ₹ 7,744.47 करोड़ का अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (51 अवसरों पर ₹ 6,444.59 करोड़ का सामान्य/विशेष अर्थोपाय अग्रिम एवं 12 अवसरों पर ₹ 1,299.88 करोड़ का अधिविकर्ष) लेना पड़ा, जिसे वर्ष के दौरान चुका दिया गया। वर्ष

2020-21 की समाप्ति पर कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष नहीं था। तालिका-2.35 वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष एवं इसमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका-2.35: नकद शेष एवं उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2020 तक अथ शेष	31 मार्च 2021 तक अंत शेष	वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	निरंक	निरंक	निरंक
स्थानीय पारगमन में प्रेषण	निरंक	निरंक	निरंक
भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	77.93	59.96	(-) 17.97
कुल	77.93	59.96	(-) 17.97
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	9,82.06	1,696.09	714.03
योग (क)	1,059.99	1,756.05	696.06
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, वन विभाग के अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	निरंक
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थाई अग्रिम	0.03	0.03	निरंक
निर्धारित निधियों का निवेश	निरंक	निरंक	निरंक
योग (ख)	0.19	0.19	निरंक
योग (क+ख)	1,060.18	1,756.24	696.06

वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष 2019-20 के ₹ 1,060.18 करोड़ से ₹ 696.06 करोड़ बढ़कर 2020-21 में ₹ 1,756.24 करोड़ हो गया। नकद शेष से किए गए निवेश में भी वृद्धि हुई जो ₹ 982.06 करोड़ से ₹ 1,696.09 करोड़ हो गया।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्तियां' शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है।

2016-17 से 2020-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका-2.36 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-2.36: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2016-17	556.80	759.43	202.63	53.30
2017-18	759.43	723.72	(-) 35.71	81.13
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02
2020-21	982.06	1,696.09	714.03	31.88

स्रोत: वित्त लेखे


2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2018-19 के दौरान निवेशों में उल्लेखनीय गिरावट हुई। तदोपरांत 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान, क्रमशः ₹ 879.97 करोड़ व ₹ 714.03 करोड़ का निवेश हुआ। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में किए गए नकद शेष निवेशों से ₹ 31.88 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

वर्ष की समाप्ति पर भारी नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा उसका लाभकारी उपयोग न करके बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा, यह खराब प्रबंधन का परिचायक है।

चार्ट-2.26 2016-21 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण एवं नकद शेष की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम ब्याज दरों पर किए गए थे।


चार्ट-2.26: बाजारी ऋण की तुलना में नकद शेष

(₹ करोड़ में)



चार्ट-2.27, 2020-21 के दौरान नकद शेष निवेश लेखा एवं नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट-2.27: 2020-21 के दौरान निवल नकद शेष निवेशों एवं नकद शेष की माह-वार गतिविधियां



स्रोत: मासिक सिविल लेखे

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उनका सृजनात्मक उपयोग न करते हुए बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा। 2020-21 के दौरान राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 3,755 करोड़ लिए जबकि तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में नकद शेष उपलब्ध था तथा इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

- 2016-20 के दौरान वित्तायोग की संस्तुतियों पर केन्द्रित हस्तांतरण में वृद्धि के कारण राज्य में राजस्व अधिशेष हुआ। यद्यपि 2016-17 (₹ 920 करोड़) से 2019-20 (₹ 12 करोड़) में राजस्व अधिशेष में लगातार गिरावट हुई (2018-19 को छोड़कर)। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक विगत वर्ष का राजस्व अधिशेष ₹ 97 करोड़ के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।
- 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹ 5,700 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.64 प्रतिशत था जो 15वें वित्तायोग द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। घाटे को मुख्यतः बाजारी उधारों से पूरा किया गया।
- राजस्व प्राप्तियों का मात्र 31 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आए जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल थे, जबकि शेष 69 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों से आए, जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (14 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से सहायता-अनुदान

(55 प्रतिशत) शामिल थे, जो वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय हस्तांतरणों एवं उधार ली गई निधियों पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।

- 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का औसतन 84.15 प्रतिशत (78.87 से 86.40 प्रतिशत के मध्य) था। 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई। 2016-21 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 68 से 71 प्रतिशत था जबकि यह राजस्व प्राप्तियों का 65 से 70 प्रतिशत रहा।
- 2020-21 के दौरान विगत वर्ष 2019-20 (₹ 5,174 करोड़) की अपेक्षा पूंजीगत व्यय (₹ 5,310 करोड़) में ₹ 136 करोड़ (2.62 प्रतिशत) की आंशिक वृद्धि हुई, जो कुल व्यय का 14 प्रतिशत था।
- वर्ष की समाप्ति पर विगत वर्ष की अपेक्षा समग्र राजकोषीय देयताएं 7.96 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 67,165 करोड़ थी। 2020-21 में कुल राजकोषीय देयता-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष के 38.21 प्रतिशत की तुलना में 42.91 प्रतिशत रहा। यह 2020-21 के दौरान 15वें वित्तायोग (36 प्रतिशत) एवं बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (33.62 प्रतिशत) में निर्धारित लक्ष्यों से काफी अधिक था। 2020-21 में सरकार के आंतरिक ऋण 2019-20 के ₹ 39,528 करोड़ से ₹ 42,918 करोड़ (8.58 प्रतिशत) तक बढ़ गए।
- 2020-21 के दौरान 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कंपनियों एवं सहकारिताओं पर उसके कुल निवेश (₹ 4,562.40 करोड़) पर 5.38 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया तथा उसके उधारों पर 7.44 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। एक कंपनी ने कुल प्रतिफल के 98 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी की।
- विगत पांच वर्षों (मार्च 2021 तक) में विद्युत् परियोजनाओं एवं उद्योग व खनिज के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों की अदायगी नहीं की गई तथा मामूली अदायगी के बावजूद फसल पालन को अतिरिक्त ऋण दिए गए। वर्ष के दौरान समग्र बकाया शेष में वृद्धि हुई।
- 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार ने पांच आरक्षित निधियों का संचालन किया, जिसमें से दो सब्याज आरक्षित निधियां (₹ 1,882.54 करोड़ क्रेडिट) एवं तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां (₹ 834.66 करोड़ क्रेडिट) हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इनमें से कोई भी राशि निवेशित नहीं की।

2.9 सिफारिशें

- राज्य सरकार उसके स्व-राजस्व में वृद्धि हेतु प्रयास करें। वह बेहतर संसाधन जुटाने हेतु लंबित कर दावों का समयबद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया निपटान, राजस्व बकाया की वसूली एवं कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
- राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के तरीके खोजें ताकि विकासात्मक व्यय हेतु अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें;
- राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत पर लिए उधार को देखते हुए इनमें निवेश की गई पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के मार्ग खोजें;
- विभिन्न क्षेत्रों को अग्रिम रूप से दिए गए ऋणों की वसूली करने में सरकार कमजोर रही, अतः राज्य सरकार ऋणों व अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा लेखाओं में उनकी सही स्थिति दर्शाने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करें;
- राज्य सरकार आगामी लागत-वृद्धि से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।